रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940
No. 341] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 483(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः:–

1. (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, नामतः : –

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, –

(क) स्तंभ (4) में, तत्संबंधी **शीर्षक** और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः–

"वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल – 7 (रु. 44900–142400 / –)" ;

(ख) स्तंभ (11) में, –

(I) उप शीर्षक ''प्रोन्नति'' के अंतर्गत, –

(i) ''वेतनबैंड–2, 9300–34800 रु. के वेतनमान और रु. 4200/– के ग्रेड वेतन में'' भाब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर ''लेवल–6 (रू. 35400–112400/–)'' शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा।

(II) उप शीर्षक ''लघु अवधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति'' के अंतर्गत, –

(i) मद (क) में, उप मद (ii) में, ''वेतनबैंड –2, (रू. 9300–34800/–) और रू. 4200/– के ग्रेड वेतन'' शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर ''लेवल–6 (रू. 35400–112400/–)'' भाब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(ii) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. I–12014/44/2017–एनसीबी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 930(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937
No. 752] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 930(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**–पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

   या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनुभाग अधिकारी	02*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह–'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड –2: 9300–34800 रू. और ग्रेड वेतन 4600 रू.	चयन पद	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति: : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सहायक जिनकी वेतन बैंड–2, 9300–34800 रू. + 4200 रू. के वेतन ग्रेड पर 5 वर्ष की नियमित सेवा है और जो दो सप्ताह का प्रशिक्षण अर्थात एक सप्ताह का कंप्यूटर प्रशिक्षण और एक सप्ताह का एन.सी.बी. द्वारा प्रदत्त 'कार्यालय प्रक्रिया' पर प्रशिक्षण किए हुए हैं । टिप्पण–1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब	समूह–'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –**अध्यक्ष** (2) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –**सदस्य** (3) निदेशक या उप सचिव,	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण–2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या स्वशासी निकायों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या कानूनी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित रूप से सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड–2, 9300–34800 रू0 + 4200 रू0 वेतन ग्रेड या उसके समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित रूप से पांच वर्ष की सेवा की है ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :– (i) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित विश्वविद्यालयों या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन घोषित किए गए किसी सम विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, और (ii) लेखा या प्रशासन या स्थापन संबंधी विषयों में दो वर्ष का कार्य अनुभव । **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर	गृह मंत्रालय **–सदस्य**	

	नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र के नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित, किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले, या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. 1—12020/73/2008—स्वा. नि. ब्यूरो]

प्रदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव